न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचौली)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./85/2023

श्री रामदेव पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिलिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला केकडी
अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः–03.10.2023

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम बिलिया पटवार हल्का पाडलिया, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाडलिया तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 44 में दर्ज सहखातेदार प्रार्थी के पिता कालू पुत्र हरजी कौम जाट दर्ज है जो गलत है जबकि कौम जाट के स्थान पर कौम गुर्जर दर्ज होना लाजमी है जिसे दुरूस्त किया जाकर आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज किया जाकर वास्ते विस्तृत रिपोर्ट अप्रार्थी को न्यायालय में तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के संदर्भ में आधार जमाबंदी संवत् 2056–59 के खाता सं. 22 की प्रति प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा वांछित आनुतोष की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि आधार जमाबंदी में नामान्तकरण सं. 26 दिनांक 26.06.2000 द्वारा कालू वल्द हरजी कौम जाट, मु0 लादी बेवा हरजी कौम जाट के स्थान पर कालू वल्द हरजी कौम गुर्जर का नोट लगा होना बताया। (प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है।) उक्त दस्तावेजात के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वांछित दुरूस्ती सही किए जाने की अभिशंषा की है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार भिनाय की अभिषशा आधार जमाबंदी ग्राम बिलिया संवत् 2056–59 के खाता सं. 22 एवं नामान्तकरण सं. 26 दिनांक 26.06.2000 के आधार पर प्रार्थना पत्र आनुतोष योग्य पाया जाता है। अतः ग्राम बिलिया की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75(2076 से स्थायी) के खाता सं. 44 में दर्ज खातेदार कालू पुत्र हरजी कौम जाट के सथान पर कालू पुत्र हरजी कौम गुर्जर किये जाने की स्वीकृति दी जाती है शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें। तहसीलदार भिनाय नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय
3/10/2023